



सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आयुक्तालय /
AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE
देवनहल्ली, बंगलूर /DEVANAHALLI BENGALURU- 560300

लोक सूचना सं /PUBLIC NOTICE. NO.41/2020, दिनांक/DATED:22.07.2020

दस्तावेज पहचान सं / DIN- 20200772MP00005JBA5B

विषय: पशु धन आयात अधिनियम 1898, यथासंशोधित के अधीन पशु एवं पशु उत्पादन के निर्यात को विनियम करने के संबंध में - संशोधित परीक्षण अपेक्षाओं के संबंध में ।

Subject: Regulation of Import of Live Stock and Livestock products under Livestock Importation Act, 1898 as amended – Revised Testing Requirement - Reg

सभी आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकर्स एवं अन्य पणधारियों को पशुधन आयात अधिनियम 1898 , के अधीन पशुधन एवं पशुधन उत्पादन की निकासियों के लिए अब प्रचलित कार्यवाही की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Attention of the Importers, Exporters, Customs Brokers and all other Stakeholders is invited to the prevailing procedure regarding clearance of Livestock and the Livestock products under Livestock Importation Act, 1898 as amended.

2. इस संबंध में यह सूचित किया जात है कि, पशु पालन एवं दुग्ध विभाग पशुधन एवं पशुधन उत्पादन के आयात को विनियमन कर रहा है और दिनांक 12.5.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं 109-36/2014-Trade, अनुलग्नक I, के अधीन जोखिम प्रबंधन प्रणाली हेतु , एक्यूसीएस (पशु करंतीन एवं प्रमाणीकरण सेवा) अधिकारियों सीमा शुल्क द्वारा मोहरबंद किये

नमूने एवं वस्तुओं को वास्तविक पहचान के लिए निरीक्षण करते हैं ।

In this context, it is to inform that the Department of Animal Husbandry and Dairying, is regulating the import of livestock and livestock products and as per the Office Memorandum No.109-36/2014-Trade, dated.12.05.2015, under Annexure-I, for Risk Management System, the AQCS (Animal Quarantine and Certification Service) officials are inspecting the customs sealed samples and goods for physical identification purpose.

2.1 कुल 699 सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सी.टी.एच) में से, वर्तमान में ,272 सीटीएच लाइन्स परीक्षण नहीं वर्ग में आ गए हैं ।

Out of the total 699 Custom Tariff Heads (CTHs) lines, at present, 272 CTHs lines fall under the category "No testing".

2.2. 'सुविधाजनक व्यापार' को सुखुर बनाने की उद्देश्य के साथ पशु पालन एवं दुग्ध विभाग द्वारा फाईल सं L-110110/1/2020-Trade(E-14819) के तहत दिनांक 15.07.2020 को जारी किये गए कार्यालय ज्ञापन ने पशुधन उत्पादन के लिए सीमा शुल्क मोहरबंद प्रणाली को निकाल दिया । उक्त कार्यालय ज्ञापन के प्रभावी भाग यानी पैरा 3 नीचे दोहराया गया है ।

In order to further facilitate towards 'Ease of doing business', the Department of Animal Husbandry and Dairying vide Office Memorandum dated 15.07.2020 issued from File No. L-110110/1/2020-Trade(E-14819) has done away with requirement of customs sealing for the livestock product samples. The operative part of the said O.M., i.e. para 3, is reiterated below:

“3. 'सुविधाजनक व्यापार' एवं आयात किये गए पशुधन के परेशन की शीघ्र निकासी को सुखुर बनाने हेतु परीक्षण अपेक्षित नहीं है संवर्ग के अधीन आयात किये गए पशुधन उत्पादन को ए.क्यू.सी.एस द्वारा निकासी करने के लिए सीमा शुल्क की कोई मोहरबंद नमूना अपेक्षित है । आयातकर्ता द्वारा लदान बिल दायर करते समय एस.डब्ल्यूएस में अन्य संगत दस्तावेजों के साथ अपलोड किये गए पशुपशुचिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर एकल विंडो प्रणाली में , इन आयात किये गए परेषण के लिए ए.क्यू.सी.एस निकासी, प्रदान की जाएगी ।

To Facilitate "Ease of Doing Business" and early clearance of imported consignments of livestock products, no custom sealed sample will be required / collected by AQCS for clearance of imported consignments under No Testing (NT) category. These imported consignments will be granted AQCS clearance on the Single Window System (SWS) based on Veterinary Health Certificate uploaded on the SWS along with other relevant documents while filing Bill of Entry by the importer."

3. इन अनुदेशों के कार्यान्वयन में यदि कुछ तकलीफ समाना करना पडा तो, वह अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो कांप्लेक्स आयुक्तालय देवनहल्ली , बेंगलूरु को ई मेल पता baccshed@gmail.com. में सूचित किया जा सकता है ।

Difficulties, faced, if any, in implementation of these instructions may be brought to the notice of the Additional / Joint Commissioner of Customs, Air Port and Air Cargo Complex Commissionerate, Devanahalli, Bengaluru, in e-mail id : baccshed@gmail.com.

अशोक
22/07/2020

(अशोक/ ASHOK)

प्रधान आयुक्त/

PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईलसंC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH खड II

के तहत जारी की जा रही है ।

Issued from File C.No. VIII/48/97/2020 BACC TECH pt file 2

प्रतिप्रस्तुत / Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

Copy to:

- 1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate,
Bengaluru
- 2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996 , केंपेगौडारोड, गॉधीनगर, बेंगलूरु
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI),
No.996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
- 3) बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गोविल्लेज, बी-ब्लाक,
बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents
Association,No.71, Cargo Village, B Block, Bengaluru International Airport,
Devanahalli, Bengaluru.

- 4) सभी एयर लाईन्स उनके संगठन के तहत/ All Airlines through Association.
- 5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरगनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहला तल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारीड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO),1stFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
- 6) सभी संरक्षकों / All Custodians
- 7) बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website
- 8)सूचनापट्ट /Notice Board.
- 9)बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेंसी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठनद्वारा/ through Courier Association)
- 10) मास्टरफाइल /Master file.